पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस विज्ञप्ति

विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में कुल 03 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक- 22.07.2024

दिनांक 21/22.07.2024 को थाना आलमबाग 01, चिनहट 01, इंदिरानगर 01 अभियुक्त गिरफ्तार। इस प्रकार वांछित में कुल 03 अभियुक्त गिरफ्तार।

बी0एन0एस0

थाना इन्दिरानगर- दिनांक 22.07.2024 को थाना इन्दिरानगर द्वारा बताया गया कि वादी श्री राजेश कुमार राय पुत्र स्व0 जोखन राय निवासी 638/18 शीतला विहार फरीदी नगर थाना इन्दिरानगर लखनऊ ने थाना इन्दिरानगर पर सूचना दिया कि दिनाँक 16.07.2024 को वादी के पास गैस का बिल जमा करने के लिए मो0नं0 08837838565 से फोन आया और वादी से ऑनलाइन बिल जमा करने को कहा वादी उसके बताने के अनुसार मोबाइल से बिल जमा करने का प्रयास करने लगा उतने में ही वादी के बैंक यूनियन खाता से तीन बार में क्रमशः 5/- रू0 48500/- रू0, 10/- रू. कट गये तथा SBI बैंक शाखा महानगर के खाता से 94157/- रू0 कट गये । **इस सूचना पर थाना इन्दिरानगर पर मु0अ0सं0 199/2024 धारा 66डी आईटी एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।**

थाना बंथरा - दिनांक 22.07.2024 को थाना बंथरा द्वारा बताया गया कि वादी श्री इंद्र कुमार पाण्डेय पुत्र स्व0 शिवकान्त पाण्डेय निवासी ग्राम बंथरा लखनऊ ने थाना बंथरा पर सूचना दिया कि दिनांक 21-07-2024 को समय लगभग 09.00 बजे रात को बिजली नहीं आ रही थी। जिसको ठीक करवाने के लिए पूरे मोहल्ले के लोग ट्रान्सफार्मर के पास गए, वहीं पर केवल चार-पांच घरों में बिजली आ रही थी तथा उनके घर के लोग भी थे। वे लोग मना करने लगे की ज्यादा ठीक करोगे तो हमारी भी बिजली चली जाएगी तथा ठीक नहीं करने दिया। सभी लोग अपने-अपने घर चले गये। जिसके उपरान्त रात लगभग 10:30 बजे वादी के घर पर अवनीश पुत्र शबोहन सिंह, हिमांशू सिंह पुत्र कन्हैया सिंह, प्रयांशू पुत्र कन्हैया सिंह, प्रत्यूश पुत्र कन्हैया सिंह व शनि सिंह पुत्र विनोद सिंह व अन्य लगभग दस व्यक्ति अज्ञात लाठी-डंडा व असलहों से लैस होकर आये तथा वादी के घर में घुसकर वादी के नौकर मैकूरावत पुत्र द्वारिका, वादी के पुत्र अभिषेक उर्फ रमन पाण्डेय व हितेष उर्फ रितिक पाण्डेय को बुरी तरह से मारा-पीटा जिससे उपरोक्त तीनों को अन्दरूनी चोटें आयी। जिसकी वजह से रात को रितिक की तबीयत ज्यादा बिगड़ गयी। अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में हितेष उर्फ रितिक उम्र करीब 22 वर्ष की मृत्यु हो गयी। **इस सूचना पर थाना बंथरा पर मु0अ0सं0 184/2024 धारा 103/333/115(2)/191(3) बी0एन0एस0 पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।**

थाना ठाकुरगंज- दिनांक 22.07.2024 को थाना ठाकुरगंज द्वारा बताया गया कि वादी श्री शादाब आगा पुत्र सफदर आगा नि0-चरख कुआं जूता बाजार म0नं0-2 नियर छोटा इमामबाड़ा हुसैनाबाद लखनऊ ने थाना ठाकुरगंज पर सूचना दिया कि दिनाँक 21.07.2024 को समय करीब 03.24 बजे प्रातः वादी के उक्त आवास के पास से वादी मोटरसाइकिल यूपी-पीबी 7910 बुलेट को अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर लिया गया है। **इस सूचना पर थाना ठाकुरगंज पर मु0अ0सं0 309/2024 धारा 303(2) बी0एन0एस0 पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।**

<u>थाना गोमतीनगर</u>- दिनांक 22.07.2024 को थाना गोमतीनगर द्वारा बताया गया कि वादिनी श्रीमती मृदुल गोयल पत्नी महेश चन्द्र गोयल निवासी 2/295 विकासखण्ड गोमतीनगर लखनऊ ने थाना गोमतीनगर पर सूचना दिया कि वादिनी को घर का कुछ हिस्सा किराये पर देना था इसके लिये वादिनी ने Magicbrics.com पर विज्ञापन दिया। दिनांक 16.07.24 को समय करीब 01.00 बजे दोपहर वादिनी के पास कोई आशीष कुमार पहाडी का फोन आया कि वाट्सअप पर घर का विडियो बना कर भेजे। वादिनी ने विडियो भेज दिया। तब उसका फोन आया कि घर उसे पसन्द है और किराया भी मंजूर है। वादिनी ने बताया कि 1 महीने का किराया एडवांस और 1 माह की सिक्योरिटी जमा करनी होगी उसने कहा कि वह आर्मी (जम्मू) में कमांडो है और उसे 2 माह की सिक्योरिटी मिलती है वादिनी ने कहा ठीक है। दिनांक 16.07.24 रात 8 बजे किसी राजेन्द्र सिंह शेखावत का फोन आया कि वह मिस्टर पहाड़ी के बिहॉफ पर 36,000/- रू0 जमा कराना चाहता है। उसने वादिनी को पेटीएम-एप खोलने के लिए कहा वादिनी उसके कहे अनुसार करती गई, पहले 36,000/-रू0 वादिनी के अकाउण्ट में आने के बजाय वादिनी के अकाउण्ट से निकल गये वादिनी ने उक्त व्यक्ति को कहा तो उक्त व्यक्ति ने फिर से दूसरे कार्ड से 36,000/- रू0 वापिस करने के लिए कहा। दूसरी बार फिर से 36000/-रू0 निकल गए। इस तरह बीच मे कई बार बैंक से टेक्निकल एरर आने लगी। तीसरी बार 27000/-रू0 निकल गया तब वादिनी को शक हुआ फिर वादिनी ने आगे कुछ भी करने से मना कर दिया तब उसने कहा कि 24 घंटे मे आपका रिफंड हो जायेगा उसके बाद वादिनी ने आशीष से बात की तो उन्होने कह कि उन्होने किसी से पैसा देने की बात नही की है लेकिन कहा कि वादिनी परेशान ना हो वादिनी का पैसे वापस हो जायेगा। अगले दिन दिनांक 17.07.2024 ऐसे ही निकल गया। वादिनी ने ऑनलाइन अपना बैंक एकाउण्ट और डेबिट कार्ड ब्लाक करा दिये। दिनांक 18.07.2024 को वादिनी बैंक गयी और सारी बात बतायी तो बैक वालों ने आशीष का और शेखावत का फोन नं0 ब्लॉक कर दिया। दिनांक 20.07.24 को वादिनी को एक व्यक्ति का फोन आया जिसनें स्वंय को मल्होत्रा बताया और कहा कि उसके पास पुलिस का कोई ई-मेल आया है, पैसा वापस करने के लिए, वादिनी ने कहा की मुझे बात नहीं करनी और उसका नं0 भी वादिनी ने ब्लॉक कर दिया। उक्त मल्होत्रा व्यक्ति ने वादिनी को बताया कि यह फ्राड आसिफ खान, मुश्ताक खान, राहिल खान द्वारा किया गया है। **इस सूचना पर थाना गोमतीनगर पर मु0अ0सं0 327/2024 धारा 66डी आईटी एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**